निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 198/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

खूबचन्द पुत्र श्री फत्ताराम जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम हरवंसपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री राजेश नायक आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, जिला जयपुर।

2 गणपत लाल पुत्र श्योनाथ,

3 रामेश्वर पुत्र श्रवण,

4 मोतीलाल उर्फ पदमचन्द पुत्र श्रवण,

5 बद्रीनारायण पुत्र श्रवण,

6 मूलचन्द पुत्र काना,

7 हरिनारायण पुत्र काना,

8 धन्नालाल पुत्र काना,

9 लादी पत्नी स्व. श्री काना,

10 सत्यनारायण पुत्र लालचन्द,

11 मोहन पुत्र लालचन्द,

समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम हरवंसपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 180/2020 ब उनवानी गणपतलाल व अन्य बनाम गोपाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज भदाला अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री पुरूषोत्तम शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 11 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 20.06.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 180/2020 ब उनवानी गणपतलाल व अन्य बनाम गोपाल व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 11 की ओर से अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।

3. वहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के न्यायालय में उक्त प्रकरण में नियमित रूप से जयपुर मुख्यालय पर सुनवाई की जा रही थी। गत तारीख पेशी दिनांक 14.12.2021 को भी सुनवाई हेतु जयपुर मुख्यालय पर नियत थी। दिनांक 14.12.2021 को प्रार्थी व अप्रार्थीगण में से किसी किसी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया और ना ही न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित किया गया। पक्षकारों को बिना किसी सूचना के पत्रावली कैम्प जयपुर से सांगानेर स्थित न्यायालय की पेशी नियत कर दी गई, जिसकी सूचना प्रार्थी को नहीं दी गई। इस प्रकार पीठासीन अधीकारी द्वारा दिनांक 14.12.2021 को बिना किसी आदेश व पक्षकारान को सूचित किये पत्रावली को जयपुर मुख्यालय से सांगानेर मुख्यालय की पेशी दिनांक 17.12.2021 नियत कर दी गई। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 3 भोरिया पुत्र किशना के फोत होने पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 दिनांक 17.03.2020 को पेश किया गया जिसका आज दिनांक तक निर्णय नहीं किया गया ना ही तनकीयात कायम की गई। उक्त कानूनी प्रकिया की पालना किये बिना दिनांक 14.12.2021 को वास्ते साक्ष्य वादी के शपथ पत्र प्रस्तुत होने पर रिकार्ड पर ले लिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को गांव में धमकी दी कि अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर मेरे परिचित है तथा मेरी उनसे बात हो चुकी है वह मेरे दावे को मैने जयपुर से सांगानेर मंगवा लिया है और आगामी पेशी पर मेरे पक्ष में निर्णय पारित करवा लूंगा जिससे प्रार्थी को यह अन्देशा हो गया कि अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी से मिला हुआ है तथा पहले से ही उक्त प्रकरण को प्रार्थी के विरूद्व निस्तारित करने का मानस बना रखा है, जिससे प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर उक्त प्रकरण में निर्णय अपने पक्ष में करवाना चाहते है। गत कई पेशियों से पीठासीन अधिकारी से मिलता रहता है अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को गांव में धमकी दी कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है। उक्त प्रकरण का निर्णय जल्दी मेरे पक्ष में करवा लूंगा। अप्रार्थीगण की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्य चकित हो गया कि ये कैसे हुआ? जब अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तर्को के समर्थन में AIR 1992 SUPREME COURT 1135, 2011-17 (2) RRT 975, 2016-17 (SUPP) RRT 629 or 2016-17 (SUPP) RRT 631 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रकरण में दिनांक 22.02.2021 को न्यायालय द्वारा प्रार्थी–प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई थी। तत्पश्चात 14.12.2021 को वादी द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया और न्यायालय में मौखिक रूप से पत्रावली को सांगानेर स्थित न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत करने का निवेदन

जिला कलक्टर
जयपुर

किया, जिसे स्वीकार कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.12.2021 सांगानेर मुख्यालय पर नियत की गई। अतः प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 180/2020 ब उनवानी गणपतलाल व अन्य बनाम गोपाल व अन्य को न्यायालय पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को अंतरित किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 18.07.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम एवं द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

10. निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रश्मी विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर